(18)

संख्याः 674/VII-II-11/328–उद्योग/2007

प्रेषक,

एम0 सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 28 मार्च, 2011

विषयः **वित्तीय वर्ष 2010–11 में सिडकुल जॉच आयोग का गठन मद हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः6051/उ0नि0(दो)15/बजट–पुनर्वि0/2010–11 दिनांक 11 मार्च 2011 तथा शासनादेश संख्याः 1154/VII-II-10/328-उद्योग/2007, दिनांक 24.5.2010, शासनादेश संख्याः 2251/VII-II-10/328-उद्योग/2007, दिनांक 3.8.2010 तथा शासनादेश संख्याः 3477/VII-II-10/328-उद्योग/2007, दिनांक 22.11.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में **सिडकुल जॉच आयोग का गठन मद अन्तर्गत ₹1.50 लाख (₹एक लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

3– व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जाय, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरान्त व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4– जिन मदों से धनराशि व्यावर्तित की जा रही है उन मदों में इस वित्तीय वर्ष में कोई भी अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2011 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

6– व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखा शीर्षक–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग 102–लघु उद्योग, 00–आयोजनेत्तर, 26–सिडकुल हेतु जॉच आयोग का गठन, 42–अन्य व्यय की मद के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 999/XXVII(2)/2011 दिनांकः 25 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0सी0उप्रेती)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 674/VII-II-11/328–उद्योग/2007 तद् दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, सिडकुल जॉच आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. उप निदेशक/नोडल अधिकारी(बजट) उद्योग निदेशालय देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0सी0उप्रेती)
अपर सचिव।

आय–व्ययक प्रपत्र–15

[व]र्ष 2010–11 हेतु आयोजनेत्तर से आयोजनेत्तर मद में पुनर्विनियोग

अनुदान संख्या – 2[illegible]

प्रशासनिक विभाग–औद्योगिक विकास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

नियंत्रक अधिकारी–निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

(धनराशि हजार रु0 में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्याव–धिक व्यय	वित्तीय वर्षके शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरि[त किय]ा जाना है तथा प्राविधान	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(आयोजनागत) 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनेत्तर, 102–लघु उद्योग, 03–अधिष्ठान व्यय **03– मंहगाई भत्ता** **37850**	**30456**	**4848**	**(क)** **2546**	(आयोजनागत) 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनेत्तर, 102–लघु उद्योग, 26–सिडकुल हेतु जॉच आयोग का गठ[न] **42–अन्य व्यय–** **(ख)** **150**	**1650**	**37700**	**(क)** आवश्यकता न होने के कारण । **(ख)** बजट प्राविधान कम होने के कारण।
योग– 37850	**30456**	**4848**	**2546**	**150**	**1650**	**37700**	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 151–156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग

संख्याः ११९ /XXVII(2)/2011 दिनांक २५ मार्च, 2011

सेवा में,

महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव,वित्त।

संख्याः 674/VII-II-11/328–उद्योग/2007 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक,उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून
3– वित्त अनुभाग–2
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।